इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूज़लेटर प्रति वर्ष ६०/रुपये
(आईएसओ ९००१ : २००८ प्रमाणित संगठन)

आईआईबीएफ विज़न

व्यावसायिक उत्कृष्टता
के प्रति प्रतिबद्ध

खंड सं. : ८ अंक सं. :६ नवम्बर, २०१५ पृष्ठों की सं १७

संस्थान (इंस्टिट्यूट) का ध्येय (मिशन) "प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श / सलाह और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से व्यावसायिक रूप से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना है।"

विषय-सूची

मुख्य घटनाएं ---------- २
बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां----------२
बैंकिंग जगत की घटनाएं---------- ६
विनियामकों के कथन ---------- -७
बीमा ----------९
अर्थव्यवस्था ---------- १०
नयी नियुक्तिया ---------- ११
उत्पाद एवं गठजोड ---------- ११
विदेशी मुद्रा ----------१२
शब्दावली ---------- ---------- ---- १३
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी ----------१३
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां----------१६
संस्थान समाचार----------१६
बाज़ार की खबरें----------१८

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों / मीडिया में प्रकाशित हो चुकी / चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की / किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना / समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित / उल्लिखित घटनाएं सम्बन्धित स्रोत द्वारा यथा अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों / घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सूचना की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी प्रकार से न तो उत्तरदायी है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएं

वित्तीय समावेशन बढ़ाने के लिए २,००० करोड़ रुपये की वित्तीय समावेशन निधि का सृजन

पांच वर्ष पहले दो निधियों,यथा- वित्तीय समावेशन निधि (FIF) और वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी नि धि (FITF) का गठन किया गया था। अब भारतीय रिज़र्व बैंक देशभर में वित्तीय समावेशन की मूलभूत सुविधा के सृजन सहित विकासपरक और संवर्धक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए २,००० करोड़ रुपये की मूलनिधि से एक नयी वित्तीय समावेशन निधि (FIF) का सृजन करने हेतु इन दोनों निधियों को एक साथ मिला रहा है। वित्तीय समावेशन निधि में अंशदान ग्रामीण मूलभूत सु विधा निधि (RIDF) पर ०.५% के अतिरिक्त ब्याजगत अंतर और बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार में कमी के कारण नाबार्ड के पास रखी जाने वाली अल्पावधि सहकारी ग्रामीण ऋण (STCRC) जमाराशियों से आएगा।

देश कागज़-रहित बैंकिंग की दिशा में प्रस्थान कर रहा है : प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी

प्रधान मंत्री ने कहा है कि अद्यतन प्रौद्योगिकी के आगमन के परिणामस्वरूप सम्पूर्ण बैंकिंग क्षेत्र महत्वपूर्ण रूपांतरण से गुजर रहा है और बैंकिंग का भविष्य महज परिसर-रहित या कागज़-रहित ही नहीं होगा, अपितु वह अंततोगत्वा मुद्रा-रहित भी होगा और इससे काले धन को रोकने में सहायता प्राप्त होगी। प्रधान मंत्री ने केन्द्रीय सरकार द्वारा विशेषत: वरिष्ठ नियुक्तियों, बैंक बोर्ड ब यूरो के सृजन, बैंकों के पुनर्पूंजीकरण, आस्तियों को दबाव-हित बनाए जाने, शून्य हस्तक्षेप के जरिये बैंक प्रबन्धन को सशक्त किए जाने, मुख्य कार्य-निष्पादन संकेतकों कए माध्यम से जवाबदेही वाले ढांचे के सृजन तथा बैंकों के अभिशासन में सुधार जैसे क्षेत्रौं में लागू किए जा रहे बैंकिंग क्षेत्र मे सुधारों का वर्णन किया।

बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां

प्रधान मंत्री जन-धन योजना : बैंकिंग सुसाधकों पर कोई सेवा कर नहीं

३

केन्द्रीय सरकार ने प्रधान मंत्री जन-धन योजना (PMJDY) के तहत मूल बचत बैंक खाते खोलने में बैंकों को कारबार सुसाधकों की सेवाओं को छूट प्रदान कर दी है। यह छूट इन एजेन्टों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में खाते खोलने से लेकर नकदी जमाओं और आहरणों को सुगम बनाने, ई-जीवन प्रमाण पत्र और आधार सीडिंग प्राप्त करने तक की श्रेणियों हेतु प्रदान की गई सेवाओं पर लागू होगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने जारी किए स्वर्ण मुद्रीकरण से सम्बन्धित दिशानिर्देश

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सरकार की स्वर्ण मुद्रीकरण योजना को कार्यान्वित करने हेतु दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुसार व्यक्ति, न्यास और पारस्परिक निधियां / भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के (पारस्परिक निधि) विनियमन के तहत पंजीकृत शेयर बाज़ार में खरीदी-बेची जाने वाली निधियां और कम्पनियां इस योजना के अधीन जमा कर सकती हैं। किसी एक समय पर न्यूनतम जमा ९९० की शुद्धता वाले सोने के ३० ग्राम के समकक्ष कच्चा सोना (छड़ों, सिक्कों, नगों और अन्य धातुओं को छोड़कर) आभूषण होना चाहिए। इस योजना में जमा के लिए कोई अधिकतम सीमा नहीं है। उक्त योजना के तहत अभिहत बैंक के साथ सभी लेनदेन ९९० की शुद्धता वाले सोने में होने चाहिए। मूलधन और ब्याज को सोने में मूल्यवर्गित किया जाएगा। ब्याज जमा किए गए सोने के परिष्करण के उपरांत विक्रेय छड़ों में रूपांतरण की तिथि या वसूली एवं शुद्धता परीक्षण केन्द्रों (CPTC) पर प्राप्ति के ३० दिन बाद उपचित होना आरंभ होगा। दो अलग-अलग स्वर्ण जमा योजनाएं, यथा- अल्पावधिक बैंक जमा (STBD) और मध्यम एवं दीर्घावधिक सरकारी जमा (MLTGD) होंगी। बैंकों को एक न्यूनतम अवरुद्धता अवधि और ऐसे जुरमाने की शर्त पर, जो अलग-अलग बैंकों में भिन्न-भिन्न हो सकता है, समय-पूर्व आहरण की अनुमति देनी होगी।

भारत में निवास करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा विदेशों में रखी गई आस्तियों का विदेशी मुद्रा प्रबन्ध अधिनियम, १९९९ के तहत विनियमन

भारत सरकार ने विदेशों में रखी गई अप्रकटित आस्तियों वाले मुद्दे से निपटने के लिए काला धन (अप्रक टित विदेशी आय एवं आस्तियां) और करारोपण अधिनियम, २०१५ (काला धन अधिनियम) अधिनिय मित किया है। इसमें अप्रकटित किन्तु भारत में कर के लिए प्रभार्य आय से विदेशों में अभिगृहीत आय एवं आस्तियों पर अलग-अलग कराधान की व्यवस्था है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह विनिर्दिष्ट किया है कि घोषणाकर्ता द्वारा विदेशों में रखी गई किसी ऐसी आस्ति जिसके सम्बन्ध में काला धन अधिनियम के प्रावधानों के तहत करों और जुरमानों का भुगतान किया गया है, के लिए विदेशी मुद्रा प्रबन्ध अधिनियम, १९९९ (FEMA) के तहत किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जाएगी। इस प्रकार घोषित आस्ति को बेचने तथा उससे प्राप्त राशियों को बैंकिंग चैनलों के माध्यम से घोषणा के १८० दिनों के भीतर भारत वापस लाने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबन्ध अधिनियम के अधीन किसी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। घोषणाकर्ता के इस प्रकार घोषित आस्ति को रखने का इच्छुक होने पर

आवेदन की तिथि को इस प्रकार की अनुमति जरूरी होने पर वह घोषणा के १८० दिनों के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक के पास आवेदन कर सकता / सकती है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ऐसे आवेदनों पर

वर्तमान विनियमनों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार की अनुमति न दिए जाने की स्थिति में उक्त आस्ति को भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुमति दिए जाने से इनकार किए जाने की सूचना प्राप्त होने की तिथि से १८० दिनों या रिज़र्व बैंक द्वारा यथा-अनुमत ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर बेच दिया जाना होगा और उससे प्राप्त राशियों को बैंकिंग चैनल के माध्यम से तत्काल वापस लाया जाना होगा।

बाह्य वाणिज्यिक उधार से सम्बन्धित नये मानदंड अधिसूचित

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB) और विदेशी रुपया ऋण के नये मानदंड अधिसूचित कर दिए हैं। जारीकर्ता स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत ७५० मिलियन अमरीकी डालर जुटा सकते हैं, इस सीमा से ऊपर वाले मामलों में भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमति की आवश्यकता होगी। ये बॉण्ड न्यूनतम पांच वर्ष की परिपक्वता वाले होने चाहिए, क्रय एवं विक्रय विकल्प, यदि कोई हो, को न्यूनतम परिपक्वता पूरी होने से पहले प्रयोज्य नहीं होना चाहिए। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के विनियामक क्षेत्राधिकार में आने वाले स्थावर संपदा निवेश न्यासों और मूलभूत सुविधा निवेश न्यासों स हित कोई भी कम्पनी निधियां जुटाने की पात्र होगी। इससे प्राप्त राशियों का उपयोग वहनीय आवासीय परियोजनाओं, पूंजी बाज़ारों में निवेश करने तथा प्राप्त राशियों का उपयोग इक्विटी निवेश करने, भूमि की खरीद तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के दिशानिर्देशों के अनुसार निषिद्ध गतिविधियों को छोड़कर स्थावर संपदा कार्यकलापों के अलावा किसी भी उद्देश्य से किया जा सकता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गृह ऋणों पर जोखिम-भार घटाए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने ७५ लाख रुपये तक के ऋणों पर जोखिम-भारों को घटा दिया है, बशर्ते उधारकर्ता सम्पत्ति का वित्तीयन करने हेतु अपेक्षाकृत भारी अंशदान करे। ३० लाख रुपये तक के ऐसे गृह ऋण जिनमें मूल्य की तुलना में ऋण (LTV) अनुपात ८०% से कम या समकक्ष हो तथा ३०-७५ लाख रुपये वाले ऐसे गृह ऋणों जिनमें मूल्य की तुलना में ऋण अनुपात ७५% से कम या उसके समतुल्य हो, पर ३५% का कमतर जोखिम-भार लागू होगा। ३० लाख रुपये तक के गृह ऋणों के ऐसे मामले मे जिनमें मूल्य की तुलना में ऋण अनुपात ८०% से अधिक हो, ५०% का जोखिम-भार लागू किया जाता रहेगा। ३० लाख रुपये तक के गृह ऋणों के लिए मूल्य की तुलना में ऋण का अनुपात ९०% से अधिक नहीं हो सकता, और वह ३० लाख रुपये तथा ७० लाख रुपये के बीच वाले ऋणों के लिए ८०% पर सीमित कर दिया गया है।

बैंकिंग जगत की घटनाएं

जन-धन जमाराशियां २२,००० करोड़ रुपये से अधिक के स्तर पर

प्रधान मंत्री जन-धन योजना (PMJDY) के अधीन खोले गए खातों में जमाराशियां हाल ही में २५,००० करोड़ से अधिक हो गईं। प्रधान मंत्री जन-धन योजना के तहत जो खाते खोले जा सकते हैं वे भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार शून्य शेषराशि वाले मूल बचत बैंक जमा खाते (BSBDA) होते हैं । ४ अक्तूबर, २०१५ के दिन संग्रहीत जमाराशियां २५,१४६.९४ करोड़ रुपये थीं। शेषराशियों वाले प्रधान मंत्री जन-धन योजना खाते भी अब ६०% से अधिक हो गए हैं और शून्य शेषराशि वाले खाते घटकर ४०%% से कम रह गए हैं।

वित्त मंत्रालय ने बैंकों से उनकी जोखिम प्रबन्धन प्रक्रिया का पुनरीक्षण करने हेतु कहा

वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों से धोखाधड़ियों की घटनाओं को रोकने के लिए उनकी आंतरिक जोखिम प्रबन्धन प्रक्रिया का पुनरीक्षण करने के लिए कहा है। मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों से किसी संभाव्य धन-शोधन गतिविधि से बचने के लिए उनके सतर्कता एवं आंतरिक तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए कहते हुए एक परामर्शी निदेश भेजा है। पुनरीक्षण से बैंकों को उनकी प्रणाली में विद्यमान कमियों का पता लगाने में सहायता प्राप्त होगी, ताकि उन्हें समय पर दूर कर लिया जाए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंफाल में उप-कार्यालय खोला

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंफाल में उप-कार्यालय खोला है। इसमें वित्तीय समावेशन और विकास, उपभोक्ता शिक्षण एवं बाज़ार आसूचना हेतु अलग-अलग विभाग होंगे। इस कार्यालय के साथ ही उत्तर-पूर्व में भारतीय रिज़र्व बैंक के उप-कार्यालयों की संख्या उक्त क्षेत्र के सात राज्यों में बढ़कर पांच हो गई है। इंफाल कार्यालय राज्य सरकार, नाबार्ड और राज्य के वित्तीय एवं बैंकिंग विकास हेतु बैंकों के गहन समन्वय में कार्य करेगा।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भर्तियों के लिए उच्च स्तरीय समिति

वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने कहा है कि विधायी आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए.पी. शाह की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए बाज़ार से सर्वोत्तम प्रतिभा नियुक्त करने हेतु उपलब्ध विकल्पों की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि बैंकिंग ब्यूरो को आकार प्रदान करने और समस्त कार्मिक मुद्दों का व्यवसायीकरण करने की दिशा में प्रयास जारी हैं। हालांकि, श्री जेटली ने यह मत व्यक्त किया है कि भविष्य में उभरते इंटरनेट पर आधारित वैकल्पिक चैनलों के परिणामस्वरूप ईंट और गारे वाली शाखाएं संभवतया कुछ प्रासंगिकता खो सकती हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक मुद्रा बाज़ार का विकास करेगा

भारतीय रिज़र्व बैंक नवम्बर के अंत तक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के साथ परामर्श करके तीन परस्पर लेनदेन की मुद्राओं, यथा- यूरो- अमरीकी डालर, जीबीपी- अमरीकी डालर और अमरीकी डालर- जापानी येन के लिए शेयर बाज़ार में खरीदे-बेचे जाने वाले मुद्रा भावी सौदों (फ्यूचर्स) और

विकल्पों की शुरुआत करने हेतु दिशानिर्देश जारी करने की तैयारी कर रहा है। यह कार्रवाई विदेशी मुद्राओं में एक्सपोजरों की प्रत्यक्ष बचाव व्यवस्था (hedging) में समर्थ बनाएगी तथा बाज़ार के सहभागियों द्वारा परस्पर लेनदेन की मुद्रा वाली रणनीतियों के निष्पादन की अनुमति प्रदान करेगी। भारतीय रिज़र्व बैंक ने निवासी संस्थाओं / कम्पनियों के लिए बचाव व्यवस्था सीमाओं में एक साधारण घोषणापत्र की प्रस्तुति की शर्त पर दस्तावेज़ प्रस्तुत किए बिना २५०,००० से १ मिलियन अमरीकी डालर तक की एक वृद्धि भी प्रस्तावित की है। उसने वित्तीय रूप से परिष्कृत निवेशकों को अन्तर्निहित एक्सपोजर के बिना मुद्रा बाज़ारों में सहभागिता की अनुमति पर विचार किए जाने के अलावा काउंटर पर लेनदेन वाले विदेशी मुद्रा बाज़ार के लिए प्रलेखीकरण की आवश्यकताओं का पुनरीक्षण भी प्रस्तावित किया है।

जमाकर्ता जागरुकता को बढ़ावा देने हेतु २० संस्थाओं को निधीयन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने उन २० संस्थाओं के नाम जारी किए हैं जिन्हें जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता (DEA) निधि समिति द्वारा जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता निधि से वित्तीय सहायता अनुदान की मांग करने हेतु पंजीकरण के लिए अनुमोदित किया गया है। चयन प्रक्रिया में रिज़र्व बैंक के एक आंतरिक दल द्वारा छानबीन शामिल होती है जिसके बाद जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता निधि समिति द्वारा आवेदनों का मूल्यांकन किया जाता है, जिसमे अन्यों के साथ तीन बाहरी सदस्य शामिल होते हैं। आवेदकों का चयन उनके न्यूनतम पात्रता मानदंडों को पूरा करने, पिछले अच्छे रिकार्ड तथा अन्य बातों के साथ ही जमाकर्ता शिक्षण, उपभोक्ता जागरूकता एवं उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्य के मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों के लिए विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में वृद्धि की सूचना दी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि विदेशी पोर्टफलियो निवेशक (FPI) १२ अक्तूबर के बाद से १.६६ लाख करोड़ रुपये तक के मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियां रखने में समर्थ होंगे। यह १.५३ लाख करोड़ रुपये की वर्तमान सीमा से १३,००० लाख करोड़ रुपये की वृद्धि है और यह १ जनवरी, २०१६ तक और बढ़ा कर १.७९ लाख करोड़ रुपये की सीमा तक कर दी जाएगी। इसके अलावा, सभी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा राज्य विकास ऋणों (SDLs) में निवेश की एक अलग सीमा होगी, जो मार्च, २०१८ तक बकाया स्टॉक के २ प्रतिशत तक पहुंचने के लिए चरणों में बढ़ाई जाएगी। मार्च, २०१८ तक इसमें लगभग ५०० बिलियन रुपये की अतिरिक्त सीमा तक की वृद्धि होगी।

निक्षेप बीमा : भारतीय रिज़र्व बैंक के पैनल द्वारा बैंकों के लिए प्रीमियम के ढांचे में बढ़ोतरी की सिफारिश

"भारत मे बैंकों के लिए विभेदक प्रीमियम प्रणाली" से सम्बन्धित भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री जसबीर सिंह की अध्यक्षता वाले पैनल ने एक व्यापक जोखिम मूल्यांकन मॉडल तैयार

V

किया है, जिसके द्वारा किसी बैंक को उस जोखिम कारक के सम्बन्ध में वहन किए गए जोखिम के आधार पर प्रत्येक जोखिम कारक हेतु एक पुरस्कार अंक (RP) प्रदान किया जाता है। किसी बैंक को कमतर जोखिम एक्सपोजर के लिए उच्चतर पुरस्कार अंक प्राप्त होगा। उक्त पैनल ने बैंकों को कम जो खिम वाले (कुल ८९ और उससे अधिक के पुरस्कार अंक वाले बैंक), साधारण जोखिम वाले (कुल ६५ और उससे अधिक, किन्तु ८० से कम पुरस्कार अंक वाले बैंक), मध्यम जोखिम वाले (कुल ५० और उससे अधिका किन्तु ६५ से कम पुरस्कार अंक वाले बैंक) तथा उच्च जोखिम वाले (कुल ५० से कम पुरस्कार अंक वाले बैंक) जैसी श्रेणियों में वर्गीकृत किया है।

वायदा संविदाओं की बुकिंग के सम्बन्ध में भारतीय रिज़र्व बैंक का दृष्टिकोण

अपने ६थे द्विमासिक मौद्रिक नीति पुनरीक्षण में भारतीय रिज़र्व बैंक ने जिनके पास वास्तविक या प्रत्या शित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर हैं, ऐसे सभी निवासी व्यक्तियों, फर्मों और कम्पनियों, को किसी प्रले खीकरण सम्बन्धी आवश्यकता के बिना साधारण घोषणा के आधार पर १ मिलियन अमरीकी डालर तक की विदेशी मुद्रा वायदा (forwards) संविदाएं और विदेशी मुद्रा एवं रुपया विकल्प संविदाएं बुक करने की अनुमति प्रदान कर दी है। जबकि इस सुविधा के अधीन बुक की गई संविदाएं सामान्यतया निष्पाद्य (deliverable) आधार पर होंगी, वहीं संविदाओं के निरस्तीकरण और पुन: बुकिंग की अनुमति होगी।

अशोध्य ऋणों को रोकन हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सहायता संघीय उधार को नवीकृत करने पर विचार

बैंकिंग प्रणाली में धोखाधड़ियों वाले मामलों और उसके साथ ही अशोध्य ऋणों में वृद्धि को रोकने के ि लए भारतीय रिज़र्व बैंक उन तौर-तरीकों में आमूल परिवर्तन करने पर विचार कर रहा है जिनमें बैंक इंडिया इंक को भारी रकम वाले ऋण प्रदान करते हैं। इसमें ५०० करोड़ रुपये और उससे अधिक के ऋणों हेतु सहायता संघीय उधार को आवश्यक बनाने तथा उन उधारकर्ताओं पर जुरमाना लगाना भी शामिल है जो ऋणदाताओं के सहायता संघ की जानकारी के बिना उसके बाहर वाले स्रोतों से ऋण की तलाश करते हैं। इस नवीकरण पर इसलिए विचार किया जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछेक वर्षों में उधारकर्ताओं और बैंकों द्वारा ऋण अनुशासन की अनदेखी की गई है, जिसके परिणामस्वरूप अशोध्य ऋणों में वृद्धि हुई है तथा प्रावधानीकरण बढ़ गया है।

विनियामकों के कथन

आधार का उपयोग वित्तीय समावेशन में सहायक होगा

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. रघुराम राजन ने कहा है कि विशेष पहचान पत्र विभिन्न प्रकार की

आर्थिक रूप से मूल्यवान ऐसी गतिविधियों में समर्थ बना सकता है जो समाज (पिरामिड) के निचले तबके को विशेष रूप से लाभ पहुंचाती हैं। उदाहरण के लिए विशेष पहचान पत्र न केवल गरीबों और युवाओं की ऋण तक पहुंच को व्यापक बना सकता है, क्योंकि वे अपनी भावी प्रतिष्ठा की संपार्श्विक के समक्ष उधार लेते हैं, यह विनियामक को व्यक्तियों को अतिशय उधार दिए जाने की प्रवृत्ति का ऋणदाताओं से उधारकर्ताओं के पहचान पत्रों की रिपोर्टिंग ऋण ब्यूरो को करने हेतु कह कर उनका पता लगाने और उसे रोकने में भी समर्थ बनाता है। उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार ने विविध कल्यणकारी योजनाओं के लिए दोहरे हिताधिकारियों को समाप्त करने हेतु विशेष पहचान पत्रों का उपयोग किया है, जिससे दुर्लभ निधियों को अत्यधिक गरीब को उपलब्ध कराने का बेहतर कार्य किया जा सका है।

भारतीय रिज़र्व बैंक की सूचना प्रौद्योगिकी शाखा ٦-Λ महीनों में

एक सूचना प्रौद्योगिकी सहायक कम्पनी स्थापित करने के भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रस्ताव को आगामी ٦ - Λ महीनों में आकार मिल जाने की आशा है। उक्त सहायक कम्पनी में विनियमन एवं पर्यवेक्षण के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को सहायता प्राप्त होने के अलावा साइबर खतरों को रोकने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिकार क्षेत्र से विशेषज्ञों का समावेश होगा। बैंकों द्वारा व्यापक रूप से सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कागज़-रहित बैंकिंग की तैयारी किए जाने के परिणामस्वरूप उन्हें साइबर अपराधियों से आगे बने रहने हेतु एक समर्पित सहायक कम्पनी की आवश्यकता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. रघुराम राजन ने इस घटना पर यह कहते हुए टिप्पणी कि "एक सूचना प्रौद्योगिकी कम्पनी साइबर सुरक्षा और बैंकों की तकनीकी सक्षमता का मूल्यांकन करने में हमारी सहायता करेगी। हमें साइबर अपराध के क्षेत्र में नये खतरों की पृष्ठभूमि में अपनी तैयारियों की निरंतर आधार पर जांच करनी होगी। इस प्रकार हम अपने बैंकों पर किसी बड़े साइबर हमले के प्रति अपेक्षाकृत रूप से रोधक्षम बने हुए हैं, किन्तु हम इससे निश्चिंत नहीं रह सकते।"

दिवालियापन संहिता बैंकों के विकास का समर्थकारी उपाय

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री एस.एस. महापात्र का कहना है कि "विनियामकों और पर्यवेक्षकों के रूप में हमें बैंकों के समक्ष उपस्थित होने वाले उभरते जोखिमों के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता होगी तथा बैंकों को उन्हें न्यूनीकृत करने में समर्थ बनाने के लिए सक्रिय रूप से उपाय सुझाने होंगे। संस्थागत पक्ष में विपद्ग्रस्त फर्मों से निपटने के लिए दिवालियापन संहिता के अधिनियमन तथा विफल वित्तीय संस्थाओं के परिसमापन हेतु एक निवारण प्राधिकरण का गठन मुख्य समर्थकारी उपाय सिद्ध होगा।"

दर में कटौती का प्रेषण होकर रहेगा, किन्तु कुछ समय लगेगा

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री एच.आर. खान को आशा है कि बैंक मुख्य ब्याज दरों में कटौती

के पूरे लाभ ग्राहकों तक पहुंचाएंगे। "विभिन्न बैंक विभिन्न तरीके अपनाने पर विचार कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि कि (मौद्रिक) प्रेषण होकर रहेगा, किन्तु इसमें कुछ समय लगेगा।"

बीमा

बीमा फर्म के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से सम्बन्धित दिशानिर्देश जारी

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने भारतीय बीमा कम्पनियों में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को ४९% पर सीमित कर दिया है। इन मानदंडो का पालन करने के लिए बीमाकर्ताओं को इन दिशानिर्देशों के जारी किए जाने की तिथि से तीन माह का समय दिया गया है। मौजूदा बीमाकर्ताओं को इनका पालन करने हेतु वैध कारणों से भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण तीन माह का एक अन्य समय भी दे सकता है। यह अतिरिक्त समय तभी दिया जाएगा, बशर्ते कि "भारतीय स्वाधिकृत एवं नियंत्रित" विनिर्देशन का पालन करने हेतु लिया जाने वाला समय छ: माह से अधिक न हो।

बीमा संयुक्त उद्यमों को भारतीय स्वाधिकृत होना चाहिए : भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण - बीआई २१-१०-१५

भारतीय स्वाधिकृत एवं नियंत्रित बीमा कम्पनियों के सम्बन्ध में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार विदेशी कम्पनियों के साथ संयुक्त उद्यम (JVs) संचालित करने वाले सभी बीमाकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि कम्पनी भारतीय हितधारकों द्वारा स्वाधिकृत और नियंत्रित हो तथा उन्हें विनियामक के पास इसकी पुष्टि करते हुए एक वचनपत्र जमा करना होगा। प्रत्येक वचनपत्र के साथ इन दिशानिर्देशों के अनुपालन की पुष्टि करते हुए निदेशक मंडल द्वारा पारित संकल्प की एक प्रमाणित प्रति लगानी होगी।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना दिसम्बर तक जारी रहेगी

सरकार द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) ३१ दिसम्बर, २०१५ तक बढ़ा दी गई है। जबकि उक्त योजना को उसके बाद ३१ मार्च, २०१६ को वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक जारी रखे जाने की अनुमति दी जा सकती है, वहीं इसमें बीमा कम्पनियों को शामिल नहीं रखा जा सकता। श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय द्वारा १ अप्रैल, २००८ को प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा प्रदान करने की परिकल्पना की गई थी। इसके हिताधिकारी अधिकांश बीमारियों के लिए ३०,००० रुपये तक की अस्पतालीकरण सुरक्षा के पात्र होते हैं।

अनुमोदन सूचीकरण से पहले वित्तीय स्थिति पर विचार किया जाएगा

\•

स्वास्थ्य, पुनर्बीमा और सामान्य बीमाकर्ताओं द्वारा शेयरों के सार्वजनिक निर्गम के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने कहा है कि वह अनुमोदन प्रदान करने से पहले अपने विनियामक रिकार्ड में मौजूद आवेदक कम्पनी की समग्र वित्तीय स्थिति और निर्गम के पश्चात उसकी पूंजी संरचना पर विचार करेगा। आवेदक कम्पनी जिस अवधि तक सामान्य बीमा व्यवसाय या एकल आधार वाले स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय या पुनर्बीमा व्यवसाय में संलग्न थी, उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। उसके पॉलिसीधारक संरक्षण रिकार्ड को भी ध्यान में रखा जाएगा।

बैंक जिस बीमा पॉलिसी को बेचते हैं, उसके लिए उत्तरदायी होंगे

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री टी. एस. विजयन ने कहा है कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने बैंकों और उनके कर्मचारियों को उन सभी बीमा पॉलिसियों के लिए जिम्मेदार बनाने का निश्चय किया है जिन्हें वे बेचते हैं। विनियामक कारपोरेट एजेन्टों को एक मध्यवर्ती मानेगा, जिससे ग्राहकों को लाभ होगा। शिकायतों के मामले में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण उस रिकार्ड तक सहज पहुंच का इच्छुक है कि बैंक (अथवा कारपोरेट एजेन्सी) में किस व्यक्ति ने पॉलिसी बेची है। वर्तमान में बैंक बीमा कम्पनियों के साथ बैंकबीमा करारों के माध्यम से कारपोरेट एजन्टों के रूप में कार्य करते हैं।

न्यूनतम वार्षिकी के सम्बन्ध में इर्डाई की नीति

वार्षिकियों और अन्य लाभों से सम्बन्धित अपनी न्यूनतम सीमाओं के सम्बन्ध में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने कहा है कि जीवन बीमा किसी लाभ या बोनस को छोड़कर \,••• रुपये से कम की रकम की वार्षिकी का भुगतान कर सकता है। इसके अलावा, सकल रकम सूक्ष्म बीमा और स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के मामले में \,••• रुपये की सकल रकम से कम नहीं हो सकती।

अर्थव्यवस्था

वित्त मंत्रालय ने इस वित्त वर्ष में V.O% की वृद्धि के प्रति आशान्वित

अन्तर्निहित स्थिरता वाले कारकों के अत्यधिक सुदृढ़ होने के परिणामस्वरूप वित्त मंत्रालय यह आशा करता है कि वर्तमान वित्त वर्ष में देश V.O% की वृद्धि दर्ज करेगा। भारत सरकार, आर्थिक कार्य विभाग के सचिव श्री शक्तिकांत दास ने कहा है कि वृद्धि को बढ़ाने लिए सरकार और अधिक सुधारात्मक उपायों को आगे बढ़ाएगी।

२०१५ में भारतीय अर्थव्यवस्था ७.५% की दर से बढ़ेगी : संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन

११

संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (UNCTAD) द्वारा जारी व्यापार और विकास रिपोर्ट, २०१५ के अनुसार २०१५ में भारत का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) ७.५% की दर से बढ़ने की आशा है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन ने कहा है कि तेल की कमतर कीमतों ने पाकिस्तान और भारत जैसे
देशों में चालू खाते के घाटों (CADs) को कम कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के अनुमान विश्व बैंक और रेटिंग एजेन्सी फिच के अनुमानों के अनुरूप हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भी सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि के अपने पूर्वानुमानों को पूर्ववर्ती ७.६% से घटाकर ७.४% कर दिया है। हालाकि, वृद्धि से सम्बन्धित भारत के पूर्वानुमान विश्व की अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं से अधिक हैं।

नयी नियुक्तियां

नाम	पदनाम / संगठन
श्री सुहास सहकारी	प्रबन्ध निदेशक, दि शामराव विठल सहकारी बैंक लिमिटेड
श्री अश्वनी कुमार	अध्यक्ष, भारतीय बैंक संघ (IBA)

उत्पाद एवं गठजोड़

संगठन	जिस संगठन के साथ गंठजोड़ हुआ	उद्देश्य
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	कोटक सिक्योरिटीज़	ऑनलाइन क्रय-विक्रय सेवाएं प्रदान करने हेतु।
भारतीय रिज़र्व बैंक	सेन्ट्रल बैंक ऑफ यूएई	पर्यवेक्षी सहयोग के लिए पर्यवेक्षी सूचना के आदान-प्रदान हेतु।
बैंक ऑफ बड़ौदा	चिल्र .	ग्राहक की फोनबुक में किसी भी संपर्क को तुरंत धन अंतरण सुविधा प्रदान करने हेतु।
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	पेटीएम	ग्राहकों की एटीएमों का उपयोग करते हुए उनके थैलों (वैलेटो) को टॉप-अप करने में सहायता करने हेतु।
आंध्रा बैंक	होंडा मोटरसाइकल एण्ड स्कूटर्स इंडिया	उसके ग्राहकों को वित्त का विकल्प प्रदान करने हेतु।
कोटक महिन्द्रा बैंक	नेशनल कमोडिटी एण्ड डेरिवेटिव्ज एक्सचेंज	इलेक्ट्रॉनिक गिरवी सुविधा के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने हेतु।

	(NCDEX)	
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	राष्ट्रीय आवास बैंक	ऋण सम्बद्ध आर्थिक सहायता योजना (CLSS) के माध्यम से कमजोर वर्गों के लिए वहनीय आवास को बढ़ावा देने की सुविधा प्रदान करने हेतु।

येस बैंक	मैच मूव पे	जिन ग्राहकों के पास क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन बैंकिंग सुविधाएं नहीं हैं, उन्हें ऑनलाइन या इन-ऐप खरीदियां करने की अनुमति देने हेतु।
भारतीय स्टेट बैंक	जर्मन डेवलपमेंट बैंक	भारत में ग्रामीण एवं सूक्ष्म उद्यमों को उधार में सहायता प्रदान करने हतु।
ऐक्सिस बैंक	स्नैपडील	लघु एवं मध्यम उद्यम विक्रेताओं के लिए तैयार किए गए एक पूर्वानुमोदित ऋण प्रस्ताव की शुरुआत करने हेतु।
ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	राष्ट्रीय आवास बैंक	सभी शहरियों के लिए आवास हेतु ऋण सम्बद्ध आर्थिक सहायता योजना।
इंडसइंड बैंक	टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस	ग्राहकों की संरक्षण, बचतों एवं धन सृजन की आवश्यकताएं पूरी करने हेतु व्यापक श्रेणी वाले समाधान प्रदान करने हेतु।
भारतीय स्टेट बैंक	बैंक ऑफ बोत्सवाना	पर्यवेक्षी सहयोग के तहत सूचना बांटने और पर्यवेक्षी सूचना के आदान-प्रदान हेतु।

विदेशी मुद्रा

नवम्बर, ٢٠١٥ माह के लिए लागू होने वाली विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की न्यूनतम दरें

विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक)जमाराशियों के लिए लिबोर / अदला-बदली

	लिबोर	अदला-बदली			
मुद्रा	१ वर्ष	२ वर्ष	३ वर्ष	४ वर्ष	५ वर्ष
अमरीकी डालर	٠.٥٤٧	٠.٨٣٧	١.٠٨٧٧	١.٣٢٥	١.٤٨٦٤
जीबीपी	٠.٦٩٣٧	٠.٩٨٨٨	١.١٦٨٦	١.٣٤١١	١.٤٩٤٦
यूरो	-٠.٠٢٠٩	- ٠.٠١٦	-٠.٠٥١	٠.١٤٩	٠.٢٨١
जापानी येन	٠.١٣	٠.١١	٠.١٢٣	٠.١٥	٠.١٩٣
कनाडाई डालर	٠.٩٢	٠.٨٦٩	٠.٩٥٣	١.٠٧٤	١.٢٢٢
आस्ट्रेलियाई डालर	١.٩٣٧	١.٩٤٨	٢.٠٢٧	٢.٢٧	٢.٣٨
स्विस फ्रैंक	-٠.٧٤٢٥	-٠.٧٥٥	-٠.٧٤٣	-٠.٦٤٥	-٠.٥١١
डैनिश क्रोन	٠.١٤٢	٠.٢٣	٠.٣٣٢٤	٠.٤٦٢٧	٠.٦٠٨

न्यूजीलैंड डालर	٢.٧٨	٢.٧٨	٢. ٨٥	٢.٩٥	٣.٠٧
स्वीडिश क्रोन	-٠.٣١٢	-٠.٢٠٩	٠.٠٣	٠.٢	٠.٤٤
सिंगापुर डालर	١.٥٨	١.٨٢	٢.٠٣	٢.٢٣٥	٢.٣٧
हांगकांग डालर	٠.٦٣	٠.٨٦	١.٠٩	١.٢٧	١.٤٢
म्यामार	٣.٨٧	٣.٩٤	٤	٤.٠٨	٤.١٥

स्रोत : www.fedai.٠rg.in

١٣

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियां

मद	**٢٣ अक्तूबर, ٢٠١٥ के दिन**	**٢٣ अक्तूबर, ٢٠١٥ के दिन**
	बिलियऩ रुपये	मिलियन अमरीकी डालर
	१	२
कुल प्रारक्षित निधियां	٢٢, ٧٥٨, ٠٠	٣,٥١, ٥٤٦.٦
क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	٢١, ٢١٧.١٠	٣,٢٨, ٠٣٧.٨
ख) सोना	١, ١٩٣, ٣٠	١٨, ١٥١. ٨٠
ग) विशेष आहरण अधिकार	٢٦٢, ٥	٤, ٠٤٥.٧٠
घ) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	٨٥.١	١, ٣١١.٣٠

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

शब्दावली

बाह्य वाणिज्यिक उधार (**ECB**)

यह न्यूनतम **३** वर्ष की परिपक्वता अवधि वाला अनिवासी ऋणदाताओं से लिया गया बैंक ऋण, क्रेता के ऋण, आपूर्तिकर्ता के ऋण, प्रतिभूत लिखतों (यथा- अस्थिर दर वाले नोटों और स्थिर दर वाले बॉण्डों, अपरिवर्तनीय, ऐच्छिक रूप से परिवर्तनीय अथवा आंशिक रूप से परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों) के रूप में वाणिज्यिक ऋण होता है।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

पर्यवेक्षी पुनरीक्षण प्रक्रिया (**SRP**)

पर्यवेक्षी पुनरीक्षण प्रक्रिया में बैंकों में उपयुक्त जोखिम प्रबन्धन प्रणालियों की स्थापना और उनकी पर्यवेक्षी प्राधिकारी द्वारा समीक्षा की परिकल्पना की गई है। पर्यवेक्षी पुनरीक्षण प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि बैंकों के पास उनके व्यवसाय में निहित सभी जोखिमों को समर्थन प्रदान करने हेतु पर्याप्त पूंजी हो तथा इसके अतिरिक्त उन्हें उनके जोखिमों पर निगरानी रखने और उनका प्रबन्धन करने के लिए बेहतर जोखिम प्रबन्धन तकनीकें विकसित करने एवं उनका उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करना भी होता है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

नवम्बर, २०१५ माह के लिए निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्रम सं.	कार्यक्रमों के नाम	तिथियां	स्थल
१	वसई कैथलिक सहकारी बैंक के लिए विपणन और ग्राहक देखरेख पर ग्राहकीकृत कार्यक्रम (दो कार्यक्रम)	०४-११-२०१५ ०५-११-२०१५ और ०६-११-२०१५ ०७-११-२०१५	वसई
२	प्रमाणित खज़ाना व्यापारी कार्यक्रम	०६-११- २०१५ ०८-११-,२०१५	मुंबई

संस्थान समाचार

आईआईबीएफ ने मोबाइल अनुप्रयोग की शुरुआत की

आईआईबीएफ के ऐंड्रोइड मोबाइल अनुप्रयोग की शुरुआत १६ अक्तूबर, २०१५ को आईआईबीएफ के उपाध्यक्ष और देना बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री अश्वनी कुमार द्वारा की गई। यह अनुप्रयोग डाउनलोड के लिए गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.orgin देखें।

आईआईबीएफ द्वारा सोशल मीडिया में प्रवेश

संस्थान ने अपने सदस्यों और अन्यों तक अपनी पहुंच बढ़ाने हेतु यूट्यूब और फेसबुक नामक सोशल मीडिया पृष्ठों की शुरुआत की है। यह कदम बैंकिंग एवं फाइनैंस में संस्थान के पाठ्यक्रमों को प्रासंगिक एवं अद्यतन बनाने के लिए उनसे सूचनाएं /. प्रति-सूचना प्राप्त करने में उसकी सहायता करेगा।

संस्थान की परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त अध्ययन सामग्री

संस्थान ने विविध परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के मुख्य (मास्टर) परिपत्रों और अन्य स्रोतों से संग्रहीत अतिरिक्त अध्ययन सामग्री अपनी वेब साइट पर डाल र खी है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.orgin देखें।

बैंकों, बैंकिंग संस्थानों और वित्तीय संस्थाओं के प्रशिक्षकों के लिए ०वां अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

१५

संस्थान १ली से ६ठी फरवरी, २०१६ तक बैंकों, बैंकिंग संस्थानों और वित्तीय संस्थाओं के प्रशिक्षकों के लिए लीडरशिप सेंटर, इंडियन इंस्टिटयूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैंस, कारपोरेट कार्यालय, मुंबई में ०वें अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.orgin देखें।

वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए ०वां बैंक कार्यपालक कार्यक्रम (BEP)

राष्ट्रीय बैंक प्रबन्धन संस्थान (NIBM), बैंकिंग प्रौद्योगिकी में विकास और अनुसंधान संस्थान (IDRBT) तथा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैंस (IIBF) द्वारा बैंक कार्यपालक कार्यक्रम संयुक्त रूप से तैयार एवं आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बैंक कार्यपालकों को उभरते वै श्विक स्तर पर स्पर्धात्मक बाजडार में सफल होने के लिए उपयुक्त कौशलों से सुसज्जित करना है। वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए ०वें बैंक कार्यपालक कार्यक्रम का आयोजन १६ से २१ नवम्बर, २०१० तक लीडरशिप सेंटर, इंडियन इंस्टिटयूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैंस, कारपोरेट कार्यालय, मुंबई में किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.orgin देखें।

आलेखों / प्रस्तावों हेतु आमंत्रण

संस्थान वर्ष २०१०-१६ के लिए सूक्ष्म आलेख / सूक्ष्म प्रस्ताव आमंत्रित करता है। आलेख / प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि ३१ जनवरी, २०१६ है। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.orgin दे खें।

हीरक जयंती और सी.एच. भाभा बैंकिंग विदेशी अनुसंधान एवं फेलोशिप (DJCHBBORF)

संस्थान वर्ष २०१०-१६ के लिए हीरक जयंती और सी.एच. भाभा बैंकिंग विदेशी अनुसंधान एवं फेलो शिप के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। आवेधन प्रस्तुत करने हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि ३१ जनवरी, २०१६ है। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.orgin देखें।

नयी पहलकदमी

वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये भेजने के लिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास अपने ई-मेल पते अद्यतन करवा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

---

* भारत के समाचार पत्र पंजीकार (रजिस्ट्रार) के पास आरएनआई संख्या : ६९२२८/१९९८ के अधीन पंजीकृत

बाज़ार की खबरें

भारित औसत मांग दरें

७.०
७
६.०
६
५.०
५

०१/१०/२०१५ ०३/१०/२०१५ ०६/१०/२०१५ १४/१०/२०१५ १७/१०/२०१५ २१/१०/२०१५
२२/१०२०१५ २६/१०/२०१५ २७/१०/२०१५ ३०/१०/२०१५

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूज़लेटर, अक्तूबर, २०१५

भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दरें

११०.००
१००.००
९०.००
८०.००
७०.००
६०.००
५०.००

०१/१०/२०१५ ०५/१०/२०१५ ०८/१०/२०१५ ०९/१०/२०१५ १२/१०/२०१५ १५/१०/२०१५ १९/१०/२०१५
२२/१०/२०१५ २८/१०/२०१५ ३०/१०/२०१५

अमरीकी डालर यूरो १०० जापानी येन पौंड स्टर्लिंग

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

बम्बई शेयर बाज़ार सूचकांक

२७१००

१७

२७६००
२७२००
२७०००
२६८००
२६६००
२६४००
२६२००
२६०००

०१अक्तू.१५ ०५अक्तू.१५ ०७अक्तू.१५ ०८अक्तू.१५ ०९अक्तू. १५ १२अक्तू. १५ १५अक्तू. १५
१९अक्तू. १५ २२अक्तू. १५ २८अक्तू. १५ ३० अक्तू. १५

स्रोत : बम्बई शेयर बाज़ार (BSE)

डॉ. जे. एन. मिश्र द्वारा मुद्रित, डॉ. जे. एन. मिश्र द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा क्वालिटी प्रिंटर्स (I) , ६- बी मोहता भवन, २री मंजिल, डॉ. ई. मोज़ेस मार्ग, वर्ली, मुंबई - ४०० ०१८ में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कॉमर्शियल-II,, टॉवर - १, २री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई - ४०० ०७० से प्रकाशित।
संपादक : डॉ. जे. एन. मिश्र

सेवा में
इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कॉमर्शियल- II, टॉवर - १, २री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम)
मुंबई - ४०० ०७०
टेलीफोन : ९१-२२ २५०३ ९६०४ / ९६०७ फैक्स : ९१-२२-२५०३ ७३३३
तार : INSTIEXAM ई-मेल : iibgen@bom0.vsnl.net.in.

वेबसाइट : www.iibf.org.in.

आईआईबीएफ विज़न नवम्बर, २०१५